



माननीय न्यायालय समआदरीण राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. / निगरानी/ 2016

क्रिग -1515-802-16

अभिभाषक श्री *केशवजी*
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक *18/11/16*
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

आयुक्त कार्यालय के प्रकाश

12/5/16

1. घीसीबाई पति स्व. भेरूलाल जी बलाई
2. कैलाश पिता स्व. भेरूलाल जी बलाई
3. रामेश्वर पिता स्व. भेरूलाल जी बलाई
4. जगदीश पिता स्व. भेरूलाल जी बलाई
5. बाबूलाल पिता स्व. भेरूलाल जी बलाई
सभी निवासीगण ग्राम बरूखेड़ा तह. व
जिला नीमच म.प्र.
6. प्रेमदेवी पति भागीरथ जी प्रजापत
निवासी-गिरदौड़ा, तह. व जिला नीमच म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. पार्वतीबाई पति स्व. भेरूलालजी नाई
2. राधेश्याम पिता स्व. भेरूलालजी नाई
3. शिवलाल पिता स्व. भेरूलालजी नाई
4. बालमुकन्द पिता स्व. भेरूलालजी नाई
5. मुन्नीबाई पिता स्व. भेरूलालजी नाई
6. ललीताबाई पिता स्व. भेरूलालजी नाई
निवासीगण गिरदौड़ा तह. व जिला नीमच
म.प्र.अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमच प्रकरण क्र. 25/
अ-6 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.12.15 से
असंतुष्ट एवं दुखी होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत
धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय न्यायालय
में प्रस्तुत है:-

माननीय महोदय,

प्रार्थी/आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


1 यह कि, अनावेदकगण के द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमच के समक्ष धारा 32, धारा 109, 110, 114, 115, 116 के म.प्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1515-~~1515~~/16

जिला - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.11.18 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	